भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या :1404
गुरुवार, 13 फरवरी, 2025 (24 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान कंपनियों हेतु सुरक्षा मानक

1404. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ विमान कंपनियां सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त कमियों के कारण हाल ही में कुछ विमानों को आपातकालीन स्थिति में उतारना पड़ा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) **:** एयरलाइनों द्वारा सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन की निगरानी, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा की जाती है और उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर उन पर कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2024 के दौरान सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के लिए एयरलाइनों पर की गई कार्रवाई का विवरण अनुलग्नक-क के रूप में संलग्न है।

(ख) **:** अनुलग्नक-क में उल्लिखित सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के कारण किसी भी विमान ने आपातकालीन लैंडिंग नहीं की है।

(ग) **:** नागर विमानन महानिदेशालय प्रकाशित वार्षिक निगरानी कार्यक्रम (एएसपी) के माध्यम से आवश्यकताओं के आधार पर नियमित अंतराल में निगरानी/संपरीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनों द्वारा लगातार अनुपालन किया जा रहा है। मौजूदा नियमों और विनियमों के उल्लंघन का निपटान प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया मैनुअल के अनुसार किया जाता है और नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा उचित समझे जाने पर प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है।

<u>**अनुलग्नक-क**</u>

वायु सुरक्षा निदेशालय द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई			
क्र.सं.	**एयरलाइन**	**उल्लंघन**	**प्रवर्तन कार्रवाई**
1	मैसर्स एअर इंडिया लिमिटेड़	कॉकपिट में अनाधिकृत प्रवेश	दिनांक 15.07.2024 के आदेश द्वारा मैसर्स एअर इंडिया के जवाबदेह प्रबंधक को चेतावनी जारी की गई

उड़ान मानक निदेशालय द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई				
क्रम. सं.	**पद धारक/प्रचालक/एयर लाइन**	**विषय**	**की गई कार्रवाई/दिनांक**	**दंड (यदि कोई हो)**
1	मैसर्स एअर इंडिया लिमिटेड़	जबकि मैसर्स एअर इंडिया ने ई-मेल दिनांक 01.01.2024 के माध्यम से 10 दिसंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 की अवधि के लिए रद्द/विलंबित/डायवर्टेड उड़ानों के संबंध में डेटा प्रस्तुत किया है। (पत्र संख्या- 22031/2/2024-एफएसडी)	दिनांक 17.01.2024 को आदेश जारी किया गया	तीस लाख
2	मैसर्स स्पाइस जेट	जबकि मैसर्स स्पाइसजेट ने ई-मेल दिनांक 27.12.2023 के माध्यम से 12 दिसंबर 2023 से 26 दिसंबर 2023 की अवधि के लिए रद्द/विलंबित/डायवर्टेड उड़ानों के संबंध में डेटा प्रस्तुत किया है। (पत्र संख्या- 22031/2/2024-एफएसडी)	दिनांक 17.01.2024 को आदेश जारी किया गया	तीस लाख
3	मैसर्स इंडिगो	जबकि, 17 और 18 जनवरी 2024 को कोहरे के दौरान उड़ान डायवर्जन से संबंधित डेटा एकत्र किया गया और उसका विश्लेषण किया गया।	दिनांक 22.03.2024 को चेतावनी पत्र	लागू नहीं
4	मैसर्स एअर इंडिया लिमिटेड़	जबकि, 17 और 18 जनवरी 2024 को कोहरे के दौरान उड़ान डायवर्जन से संबंधित डेटा एकत्र किया गया और उसका विश्लेषण किया गया।	दिनांक 22.03.2024 को चेतावनी पत्र	लागू नहीं

5	मैसर्स ब्लू डार्ट एविएशन लिमिटेड़	जबकि, यह पाया गया है कि मैसर्स ब्लू डार्ट लिमिटेड ने पेरिस, फ्रांस (एफआर 108) और ब्रुसेल्स, बेल्जियम (डीके 161) में अपने कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए नागर विमानन महानिदेशालय से अपेक्षित उपकरण के लिए उपयोगकर्ता अनुमोदन प्राप्त किए बिना, मान्य उड़ान सिम्युलेटर प्रशिक्षण उपकरण का उपयोग किया था। यह विमान नियम, 1937 के नियम 41 (सी) उप-नियम (4) और ना.वि.अपेक्षाएं धारा 7, श्रृंखला-घ, भाग VI, पैरा 37 का उल्लंघन है।	दिनांक 10.04.2024 को आदेश जारी किया गया	बीस लाख
6	मैसर्स स्पाइस जेट	जबकि कोहरे के समय के दौरान उड़ान डायवर्जन से संबंधित डेटा एकत्र किया गया और उसका विश्लेषण किया गया।	दिनांक 22.03.2024 को चेतावनी पत्र	लागू नहीं
7	मैसर्स विस्तारा	जबकि, मैसर्स विस्तारा लिमिटेड का स्पॉट ऑडिट 07 और 08 फरवरी 2024 को किया गया था। ऑडिट का दायरा आईओसीसी, प्रचालन का दिन, क्रू प्रबंधन प्रणाली, क्रू प्लानिंग, एफडीटीएल और एआरएमएस ऑडिट रिपोर्ट तक सीमित था, अक्टूबर 2023 और जनवरी 2024 के महीने के लिए बेड़ेवार आकस्मिक ऑडिट रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया था।	दिनांक 14.05.2024 को आदेश जारी किया गया	तीस लाख
8	मैसर्स एअर इंडिया लिमिटेड़	जबकि, मैसर्स एअर इंडिया लिमिटेड का स्पॉट ऑडिट 30 और 31 जनवरी 2024 को किया गया था। ऑडिट का दायरा आईओसीसी, परिचालन का दिन, क्रू प्रबंधन प्रणाली, क्रू प्लानिंग, एफडीटीएल और एआरएमएस ऑडिट रिपोर्ट तक सीमित था, बेड़ेवार आकस्मिक ऑडिट रिपोर्ट का विश्लेषण 15 और 20 दिसंबर 2023 और 16 जनवरी 2024 के लिए किया गया था।	दिनांक 22.03.2024 को आदेश जारी किया गया	पचास लाख
9	मैसर्स इंडिगो	जबकि, मैसर्स इंडिगो लिमिटेड ने पत्र पंजी. संख्या आईजीओपीएस/डीजीसीए-एफएसडी/2024/280 दिनांक 15.02.2024 के माध्यम से फ्लाइट डिस्पैचर के लिए पूर्ण किए गए ओजेटी को क्रेडिट करने का अनुरोध किया। फ्लाइट डिस्पैचर परीक्षा के सभी पेपरों में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने से पहले पत्र में उल्लिखित बारह उम्मीदवारों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण (ओजेटी) पूरा हो चुका है।	दिनांक 21.05.2024 को चेतावनी पत्र जारी किया गया	लागू नहीं
10	मैसर्स एअर इंडिया लिमिटेड़	नवंबर 2022 से बीओएम/बीएलआर-एसएफओ मार्ग पर चलने वाले बी737 विमानों में ऑक्सीजन की कमी	दिनांक 24.01.2024 को आदेश जारी किया गया	एक करोड़ दस लाख
11	मैसर्स एअर इंडिया लिमिटेड़	जबकि, मैसर्स एअर इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 10.12.2023 के पत्र संख्या सीटीई/बीओएम/एडीएमएन/004 के माध्यम से स्वेच्छा से रिपोर्ट की है कि बी-777 विमान पर कैप्टन के प्रशिक्षण में एक चूक हुई है, जिसमें संबंधित पायलट ने ना.वि.अपेक्षाएं 7/बी/XIX के प्रावधानों और ऑपरेटर के अनुमोदित ओएम-डी के अनुसार बेस ट्रेनिंग नहीं ली है।	दिनांक 17.09.2024 को चेतावनी पत्र जारी किया गया	लागू नहीं

12	मैसर्स एअर इंडिया लिमिटेड़	दिनांक 10.07.2024 को ई-मेल द्वारा एक गंभीर अनुसूचन घटना की सूचना दी गई, जिसमें था कि गैर-लाइन रिलीज़ किए गए प्रशिक्षु प्रथम अधिकारी को दिनांक 09.07.2024 को एआई 921 परिचालित करने के लिए एक गैर-प्रशिक्षक लाइन कप्तान के साथ लगाया गया था।	दिनांक 23.08.2024 को आदेश जारी किया गया	नब्बे लाख
13	मैसर्स अकासा एयर	ग्राउंड इंस्ट्रक्टर और एयरलाइन टाइप रेटिंग प्रोग्राम अनुपालन पूरा नहीं किया गया है और नामित परीक्षक, कैट II और कैट III अद्यतित और योग्य नहीं है।	दिनांक 17.10.2024 को आदेश जारी किया गया	तीस लाख
14	मैसर्स अकासा एयर	आरएनपी प्रशिक्षण, सिम्युलेटर पर किया गया जो इसके लिए योग्य नहीं थे।	निदेशक प्रशिक्षण और निदेशक उड़ान परिचालन का 6 महीने के लिए निलंबन दिनांक 27.12.2024	लागू नहीं

उड़नयोग्यता निदेशालय द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई					
क्र.सं.	**एयरलाइन**	**पद धारक**	**उल्लंघन**	**कार्रवाई की तारीख**	**प्रवर्तन कार्रवाई**
1.	मैसर्स अलाइंस एअर	सीएएम	सीएएम सतत उड़ानयोग्यता प्रबंधक के रूप में कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं और उन्होंने विमान नियम, 1937 के नियम 133बी के उपनियम 6 और उपनियम 7 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है / उनका अनुपालन नहीं किया है।	15.02.2024	चेतावनी
2.	मैसर्स एअर इंडिया	सीएएम	यह देखा गया है कि उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र ने सी ऑफ ए और एआरसी जारी करने के दौरान विमान वीटी-आरटीएस के संबंध में गलत और अप्रासंगिक बयान जारी किया है। एयरबस ए350 वीटी-जेआरबी पर निर्धारित लक्ष्य अर्थात 500 एफसी/5 महीने की अनुचित योजना, जिसके कारण विमानों को अनावश्यक रूप से ग्राउंडिंग करना पड़ रहा है।	15.03.2024	चेतावनी
3.	मैसर्स एअर इंडिया	क्यूएम	यह पाया गया है कि गुणवत्ता प्रबंधक ने एएमईएस को सीएफएम लीप 1ए से सुसज्जित ए320-251एन विमान को प्रमाणित करने के लिए प्राधिकरण जारी किया है, जो नागर विमानन अपेक्षाएं की 145. क. 35 की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है।	15.03.2024	चेतावनी
4.	मैसर्स स्पाइसजेट लिमिटेड़	सीएएम	मैसर्स स्पाइसजेट लिमिटेड को 26.03.2024 को लेवल-1 जांच निष्कर्ष जारी किया गया, जिसमें यह पाया गया कि एपीयू घंटों की बाध्यता के कारण एपीयू प्रचालनों को निष्क्रिय घोषित कर दिया गया और एमईएल, कैट डी में 120 दिनों के लिए खराबी को बने रहने दिया गया। संगठन ने 01.04.2024 को जवाब प्रस्तुत किया है, इस कार्यालय में उचित स्तर पर उत्तर की जांच की गई और इसे संतोषजनक नहीं पाया गया, इसलिए यह देखा गया कि सीएएम निरंतर उड़ानयोग्यता प्रबंधक के रूप में कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं और उन्होंने ना.वि.अ., धारा 2, श्रृंखला ख भाग 1 और विमान नियम, 1937 के नियम 133ख के उप नियम 6 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है / उनका अनुपालन नहीं किया है।	10.04.2024	मौखिक परामर्श

5.	मैसर्स टाटा एसआईए एयरलाइंस	जवाबदेह प्रबंधक	मैसर्स टाटा एसआईए एयरलाइंस को 22.04.2024 को लेवल-1 जांच निष्कर्ष जारी की गई थी, जिसमें यह पाया गया था कि एपीयू फ्यूल कंट्रोल यूनिट को बदलने के दौरान एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस तकनीशियन वीटी-टीएनई एयरक्राफ्ट पर एपीयू ट्रेसल फ्रंट साइड (15 अप्रैल 2024 की रात की शिफ्ट में लगभग 02:15 बजे) से फिसल गया और घायल हो गया। एएमएम और संगठन एसओपी के अनुसार, हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस जैसे सुरक्षा उपकरण प्रमाणित करने वाले कर्मचारियों और संबंधित रखरखाव कर्मियों के पास उपलब्ध नहीं थे। इससे पहले, इसी उल्लंघन के लिए मैसर्स टाटा एसआईए एयरलाइंस लिमिटेड को 30.01.2024 को लेवल 1 फाइंडिंग जारी की गई थी। जांच के दौरान, यह पाया गया कि मैसर्स टाटा एसआईए एयरलाइंस के कर्मचारियों ने रखरखाव करते समय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था, जिससे ना.वि.अ. 145 क40, ना.वि.अ. 145क.65 और विमान नियम, 1937 के नियम 133ख के उपनियम 2 के प्रावधान का उल्लंघन हुआ।	02.05.2024	दस लाख रुपए का आर्थिक दंड

6.	मैसर्स एअर इंडिया एक्सप्रैस लिमिटेड़	सीएएम	डीडीजी, डीजीसीए पश्चिमी क्षेत्र के कार्यालय द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के दौरान वीटी-एक्सएक्स (बोइंग 737-8मैक्स) को सीसीजे के दिनांक 15.02.2024 को हार्ड लैंडिंग का संदेह था। एएमई ने विमान दस्तावेजों (टेक लॉग) में किसी भी असामान्यता का उल्लेख किए बिना हार्ड लैंडिंग के एएमएम 05-51-01-210-801 के अनुसार चरण 1 ए को पूरा किया है और एएमएम 05-51-01 1, जनरल पैरा जी (2) उप पैरा 2) (ए) के अनुसार अनिवार्य रूप से आवश्यक निरीक्षण के चरण 1 बी को पूरा करने में विफल रहा है। इसके अलावा, नियमित डीएफडीआर निगरानी के दौरान, यह देखा गया कि टचडाउन (वीजीटीडी) पर ऊर्ध्वाधर 'जी' 2.218 जी था, तदनुसार सीएएमओ को 16.02.2024 को ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया था और सीएएमओ विभाग ने 16.02.2024 को कॉलआउट जारी किया और संबंधित कर्मियों को प्रासंगिक एएमएम दिशानिर्देशों के अनुसार चरण आईए और 1 बी निरीक्षण करने के लिए ईमेल के माध्यम से सूचित किया, लेकिन, उस समय तक विमान ने 15.02.2024 से अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों सहित 4 क्षेत्रों में उड़ान भरी थी और सीएएमओ समय पर आवश्यकताओं का प्रबंधन करने में विफल रहा है।	27.05.2024	एक लाख रुपए का आर्थिक दंड
7.	मैसर्स एअर इंडिया एक्सप्रैस लिमिटेड़	सीएएम	वीटी-एएक्सएम (बोइंग 737-8एमएएक्स) के दिनांक 01.03.2024 को डीडीजी डीजीसीए पश्चिमी क्षेत्र के कार्यालय द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के दौरान ऑपरेटिंग सेक्टर टीआरवी-डीओएच डीएफडीआर डेटा से हार्ड लैंडिंग का पता चला। सीएएमओ ने वीजीटीडी पर 2.174ग्राम के उच्च "जी" मान के संबंध में दिनांक 04.03.2024 को एएमओ (मैसर्स एआईईएसएल) को निरीक्षण के लिए कॉलआउट जारी किया था, जिसे दिनांक 09.03.2024 को पूरा किया गया और इस अवधि के दौरान कई अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों सहित 20 राजस्व उड़ानें परिचालित की गईं और सीएएमओ समय पर आवश्यकताओं का प्रबंधन करने में विफल रहा। (ख) एआईएक्सएल एफएसडी विभाग ने एआईएक्सएल सीएएमओ को नियमित डीएफडीआर रिपोर्टों में दिनांक 04.03.2024 को सामने आए उच्च "जी" मूल्य के बारे में सूचित किया था, लेकिन एआईएक्सएल सीएएमओ, आवश्यक होने के बावजूद डीएडब्ल्यू डीजीसीए के कार्यालय को इसकी कोई घटना रिपोर्टिंग करने में विफल रहा और विमान नियम 1937 के नियम 29ई और ना.वि.अ. धारा 5 सीरीज सी भाग 1 के अनुरूप नहीं था।	27.05.2024	एक लाख रुपए का आर्थिक दंड

8.	मैसर्स एअर इंडिया	जवाबदेह	संगठन ने महानिदेशक की पूर्व अनुमति के बिना बोइंग 737-800 विमान वीटी-टीजीजी को बाह्य लिवरी (प्रचार संबंधी डिकल्स) के साथ स्थापित और परिचालित किया है, जो विमान नियम, 1937 की धारा 37क का उल्लंघन है।	24.12.2024	तीस लाख रुपये का आर्थिक दंड

******